



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

प्रकीर्ण बाद संख्या-1223/ 2010

दिलीप कुमार

बनाम

रामसिंह आदि।

दिनांक:09.02.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी एवं अभियुक्तगण गैर हाजिर। परिवादी दिलीप कुमार एवं अभियुक्त रामसिंह के अधिवक्तागण द्वारा उनके हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये जोकि केवल आज के लिए स्वीकार किये गये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त पत्रावली धारा-138 एन०आई० एक्ट से संबंधित है तथा पत्रावली दिनांक-20.09.2010 से इस न्यायालय में लम्बित है। धारा-138 एन०आई० एक्ट से संबंधित पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण (अन्दर छह माह) हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिशा-निर्देश पारित किये गये हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त पत्रावली त्रुटिवश अन्य अभियुक्त विशनू की हाजिरी में नियत चल रही है जबकि न्यायालय के तलबी आदेश दिनांकित-14.07.2011 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा केवल अभियुक्तगण रामसिंह व शान्ती देवी को ही अन्तर्गत धारा-138 एन०आई० एक्ट वास्ते परीक्षण तलब किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावली में परिवादी दिलीप कुमार पर एवं उसके अधिवक्ता नियमित तौर उपस्थित नहीं होते हैं तथा अधिकतम नियत तिथियों पर परिवादी दिलीप कुमार के अधिवक्ता द्वारा केवल हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर रख दिये जाते हैं जोकि अत्यन्त ही गंभीर एवं आपत्तिजनक है। आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी दिलीप कुमार को न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये। परिवादी के उक्त आचरण से यह स्पष्ट होता है कि उसे पत्रावली पैरवी में एवं शीघ्र निस्तारण में कोई रुचि नहीं है तथा वह केवल पत्रावली की कार्यवाही को लम्बित कर रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह पत्रावली के निस्तारण में सहयोग करें अन्यथा पत्रावली में न्यायोचित कार्यवाही अग्रसारित की जाएगी। अभियुक्ता शान्ती देवी के विरुद्ध NBW जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्ता शान्ती देवी दिनांक-16.02.2026 को पेश हो। कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करे।

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०)/

न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद,

सीतापुर।